**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 680**

**जिसका उत्तर बुधवार, 01 दिसंबर, 2021 को दिया जाएगा**

**उपभोक्ता कल्याण कोष**

**680. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उपभोक्ता कल्याण कोष के गठन के संबंध में विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को लागू न करने वाले राज्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) और (ख) : जी हां। आज की तिथि तक, कुल 17 राज्य नामत: गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, केरल, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा ने अपने-अपने राज्यों में उपभोक्ता कल्याण (कायिक) कोष की स्थापना की है।

अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और लद्दाख ने अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता कल्याण (कायिक) कोष की स्थापना नहीं की है।

*****